सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

GSR 843(E)

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 9, 2001/कार्तिक 18, 1923
No. 575] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 9, 2001/KARTIKA 18, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 843(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डॉक्टरी थर्मामीटर (गुणता नियंत्रण) आदेश 2001 है।

(2) यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के बाद प्रवृत होगा ।

2. परिभाषा :- इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'समुचित प्राधिकारी' से अभिप्रेत माप और तौल मानक अधिनियम 1976 की धारा 28 के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक, विधि मापिकी अभिप्रेत है।

(ख) 'डॉक्टरी थर्मामीटर' - मनुष्यों का तापमान मापने के लिए काँच में द्रव टाइप डॉक्टरी थर्मामीटर, अधिकतम तापमान दर्शाने वाली युक्ति सहित ।

टिप्पणी - इन थर्मामीटरों के आकार और रेंज इनके उपयोग पर आधारित हैं।

(i) ठोस नली टाइप - ये थर्मामीटर ठोस नली, काँच में पारे से भरे टाइप के होंगे।

(ii) बंद- पैमाना टाइप - ये थर्मामीटर काँच में पारे से भरे और उसके अन्दर पैमाना रखे टाइप के होंगे।

(ग) निर्दिष्ट मानक से निम्नलिखित भारतीय मानक विशिष्टियाँ अभिप्रेत है :

IS संख्या	शीर्षक
IS: 3055 (भाग 1): 1994	डॉक्टरी थर्मामीटर भाग 1 ठोस नली टाइप (दूसरा पुनरीक्षण)
IS: 3055 (भाग २): 1988	डॉक्टरी थर्मामीटर भाग 2 बंद पैमाना टाइप (पहला पुनरीक्षण)

(घ) 'ब्यूरो' से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है ।

(ड.) डॉक्टरी थर्मामीटर के संबंध में 'विनिर्माता' से अभिप्रेत वह व्यक्ति अथवा फर्म या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब अभिप्रेत, जो इस प्रकार का कोई डॉक्टरी थर्मामीटर उत्पादित करता है, बनाता है, उसका समुच्चय करता है या निर्माण करता है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म अथवा अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब भी है जो यथास्थित ऐसे व्यक्ति या फर्म अथवा अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब, द्वारा ऐसे डॉक्टरी थर्मामीटर के उत्पादन करने, बनाने, समुच्चय करने अथवा निर्माण करने का दावा करता है।

(च) डॉक्टरी थर्मामीटर के संबंध में 'व्यवहारी' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या फर्म या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा किसी ऐसे डॉक्टरी थर्मामीटर का क्रय करने, उसका विक्रय करने या प्रदाय करने या वितरण का व्यवसाय, चाहे वह नकद या आस्थगित संदाय के लिए हो, या कमीशन या पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो ।

(छ) 'मानक चिन्ह' से ऊपर खण्ड 2(ग) में यथा-वर्णित किसी विशिष्ट भारतीय मानक को व्ययदिष्ट करने के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन चिन्ह अभिप्रेत है ।

3. उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में विनिर्दिष्ट डॉक्टरी थर्मामीटर के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय, वितरण आदि के संबंध में प्रतिषेध :-

(1) कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में वर्णित किसी ऐसे डॉक्टरी थर्मामीटर का विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडार, विक्रय, या वितरण नहीं करेगा, जो विर्निदिष्ट मानक के अनुरूप न है परन्तु इस डॉक्टरी थर्मामीटर पर प्रमाणन मुहर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही मानक मुहर लगी है ।

परन्तु खण्ड 2(ग) में विनिर्दिष्ट डाक्टरी थर्मामीटर का निर्यात का विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित है. उपर्युक्त विशिष्टि किसी भी मामले में विर्निदिष्ट मानक से न्यून नहीं होना चाहिए ।

(2) अधोमानक या त्रुटिपूर्ण डॉक्टरी थर्मामीटर, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है, उपयोग से परे ऐसे विरूपित कर दिया जाएगा और स्क्रैप के रूप निपटान कर दिया जाएगा ।

4. विनिर्माताओं का प्रमाणीकरण

(1) खण्ड 2(ग) में वर्णित डॉक्टरी थर्मामीटर के सभी विनिर्माता, इस आदेश के प्रकाशन के 180 दिनों के भीतर मानक चिन्ह के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करें ।

स्पष्टीकरण : विनिर्माता इस आदेश के 60 दिनों के अंदर आवेदन करेंगे, ताकि उन्हें इस आदेश के लागू होने से पहले लाइसेंस प्रदान किया जा सके ।

(2) मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजुरी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुबन्धो के अनुसार होगी ।

(3) इस अधिसूचना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति डॉक्टरी थर्मामीटर के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है, तो वह मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो से विधिमानक अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना नियमित उत्पादन (भा मा ब्यूरो द्वारा निरीक्षण और परीक्षण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित के अलावा) आरम्भ नहीं करेगा ।

(4) किसी लाइसेंस की अवधि समाप्त होने अथवा ब्यूरो द्वारा उसे निरस्त करने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में वर्णित डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए ब्यूरो के अलावा अन्य समुचित अधिकारी को भी सूचित किया जायेगा ।

5. जानकारी आदि मंगाने की शक्ति :- समुचित प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से :

(1) उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में वर्णित डॉक्टरी थर्मामीटर के विनिर्माण,करने, विक्रय के लिए भंडार करने,विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जैसा वह किसी डाक्टरी थर्मामीटर के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए. भंडार करने, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या जैसा वह इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे या किसी व्यक्ति से किसी डाक्टरी थर्मामीटर के नमूने या किसी डाक्टरी थर्मामीटर के संघटक देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में वर्णित डाक्टरी थर्मामीटर का विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भंडार करने,विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखी हुई या उसकी या उसके कब्जे या नियंत्रण के अधीन की किन्ही पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में वर्णित डॉक्टरी थर्मामीटरों या डॉक्टरी थर्मामीटर के संघटकों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा,

56

(3) पैरा (7) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी से किसी परिसर में प्रवेश और तलाशी कर सकेगा और किसी डाक्टरी थर्मामीटर का, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है या उक्त डाक्टरी थर्मामीटर विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है, अभिग्रहण कर सकेगा,

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध, जहाँ तक सम्भव हो, इस खंड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

6. नमूनों का परीक्षण :- ऊपर खण्ड 2(ग) में यथानिर्दिष्ट डॉक्टरी थर्मामीटर के नमूने का, अतिनिश्चित करने के लिए कि जिस पर मानक चिन्ह लगा है और समुचित प्राधिकारी द्वारा निकाला गया है वह निर्दिष्ट मानक का है या नहीं, ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ब्यूरो द्वारा यथाअवधारित रीति में परीक्षण किया जाएगा ।

7. शक्तियों का प्रत्यायोजन - समुचित प्राधिकारी लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस आदेश के अधीन किसी अधिकारी को अपनी ओर से सभी कार्य करने अथवा इसके प्रकार्यों में से किसी एक कार्य को करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, परन्तु कोई भी ऐसा अधिकारी जो राजपत्रित रैंक का नहीं है, को उपर्युक्त 5(3) के अन्तर्गत तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत न किया जाएगा ।

8. विनिर्माताओं और व्यवहारियों इत्यादि को निदेश जारी करने की शक्ति :- समुचित प्राधिकारी इस आदेश के उपबंधों के संगत, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस आदेश के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, ।

निदेशों का अनुपालन :- उपर्युक्त खण्ड 2(ग) में यथानिर्दिष्ट डॉक्टरी थर्मामीटर का विक्रय के लिए भंडार करने में, विक्रय करने या वितरण के लिए विनिर्माण, भंडार में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया जाता है, ऐसे निदेश का पालन करेगा ।

9. सूचना देने की बाध्यता - कोई भी विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से पैरा 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक माँगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा या ऐसे के द्वारा रखे अथवा ऐसे व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में उपर्युक्त किसी बही या दस्तावेज या ऊपर खण्ड 2(ग) में वर्णित डॉक्टरी थर्मामीटर को न तो छिपाएगा, न इनको नष्ट करेगा, न विकृत या विरूपित करेगा ।

शिकायत दायर करना :- निदेशक, विधि मापिकी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इस कार्य के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,1986, की धारा 34 के अधीन शिकायत दायर कर सकेगा है ।

857

12. शास्ति - कोई भी व्यक्ति, जो इस आदेश के उपबंन्ध 3 का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की धारा 33 के अधीन शास्ति के लिए जिम्मेदार होगा और वह संपत्ति, जिसकी बाबत आदेश का उल्लंघन हुआ है, का समाहरण किया जा सकेगा ।

13. अपील - (1) कोई भी ऐसा व्यक्ति, निर्माता या डीलर, जो इस आदेश के अधीन लिए गए किसी निर्णय से व्यथित है, वह उक्त निर्णय को संसूचन देने वाले आदेश की प्रति उसे प्राप्त होने की तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर केन्द्र सरकार से लिखित में अपील कर सकेगा ।

किंतु, केन्द्रीय सरकार उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चाद भी किसी अपील को स्वीकार कर सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त वजह होने के कारण समय से अपील दायर नहीं कर पाया ।

(2) उपखंड (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चाद ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझती है, पारित कर सकेगी ।

[फा. सं. 11/40/2001-बी आई एस]

एस. नौटियाल, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2001

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. Short title and commencement: - (1) This order may be called the Clinical thermometers (Quality Control), Order 2001.

(2) It shall come into force after a period of 180 days from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions: - In this order, unless the context otherwise requires:

(a) `Appropriate Authority' means Director, Legal Metrology posted under Section 28 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976.

(b) Clinical Thermometer - A medical thermometer of liquid-in-glass type provided with a maximum indicating device for measuring the temperature of human beings.

5-8

Note - Shapes and ranges of these thermometers depend on their use.

(i) Solid Stem Type - The thermometers shall be of th solid-stem, mercury-in-glass type.

(ii) Enclosed-Scale Type - The thermometers shall be of the enclosed-scale mercury-in-glass type.

(c) Specified Standard means the following Indian Standards Specifications:

IS NO.	Title
IS: 3055 (Part 1): 1994	Clinical Thermometers: Part1 Solid Stem Type (Second Revision)
IS: 3055 (Part 2): 1988	Clinical Thermometers: Part 2 Enclosed Scale Type (First Revision)

(d) `Bureau' means Bureau of Indian Standards.

(e) `Manufacturer' in relation to clinical thermometer means a person or a firm or a Hindu undivided family which, produces, makes, assembles or manufactures any such clinical thermometers and includes a person or a firm or a Hindu undivided family which claims such clinical thermometers to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family, as the case may be.

(f) `Dealer' in relation to clinical thermometer means a person who or a firm or a Hindu undivided family which carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing any such clinical thermometers, whether for cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration.

(g) `Standard Mark' means the Bureau of Indian Standards Certification Mark specified by the Bureau to represent a particular Indian Standard as stated in clause 2 (c) above.

3. Prohibition of manufacture, storage, sale and distribution of Clinical thermometers in contravention of standards specified in clause 2 (c):-

(1) No person shall, by himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute any Clinical Thermometers which do not conform to the Standards specified under clause 2(c). The clinical thermometers shall bear the Standard Mark of the Bureau on obtaining Certification Marks liecence.

Provided that in case of export of clinical thermometer specified under clause 2(c) required by the foreign buyer, such specification shall not be less than the Standards specified under clause 2(c).

(2) The sub-standard or defective clinical thermometers which do not conform to the specified standard, shall be destroyed beyond use and disposed off as scrap.

4. Certification of manufacturers

(1) All existing manufacturers of the Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) shall obtain licence for use of the Standard Mark, within 180 days of the publication of this order.

Explanation: The manufacturer may apply within 60 days of the publication of this order so as to grant them the licence before this order comes into force.

(2) The grant of licences by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and the Rules and Regulations framed, thereunder.

(3) When any person by himself or by any person on his behalf proposes to manufacture Clinical thermometers after this notification comes into force, he shall not commence regular production (except required for the purpose of inspection and testing by BIS) without obtaining a valid licence from the Bureau for use of the Standard Mark.

(4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau for Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above, the Appropriate Authorities other than the Bureau shall also be informed.

5. Power to call for information etc: - The appropriate Authority may with a view to securing compliance with this Order:

(1) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sales or distribution of Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above to give such information as it deems necessary in relation to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above for the implementation of this order or require any such person to furnish to it samples of Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above.

(2) inspect or cause to be inspected any books or other documents or Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of Clinical thermometers as specified in clause 2(c) above.

(3) cause an officer authorized under paragraph (7) to enter and search any premises and seize Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above in respect of which it has reason to believe that contravention of this Order has been committed or the said Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above is not of the specified standard.

(4) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall so far as, may be, applied to searches and seizure under this clause.

6. Testing of samples: - Samples of Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for establishing whether it is of the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in the manner as determined by the Bureau.

7. Delegation of powers: - The Appropriate Authority may by general or special order in writing authorize an officer to exercise on its behalf all or any of its functions under this order provided that no officer who is not of Gazetted rank shall be authorized by the Appropriate Authority to exercise the powers of search and seizure under clause 5 (3) above.

8. Power to issue direction to manufacturers and dealers etc.: - The Appropriate Authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of this Order, as may be necessary in carrying out the purpose of this Order.

9. Compliance of directions: - Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.

10. Obligatory to furnish information:- No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under paragraph 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or Clinical thermometers as specified in clause 2 (c) above kept by such person or in the possession or control of such person.

11. Filing of complaint: - The Director, Legal Metrology or any person authorized by him in this behalf may file complaint under section 34 of the Bureau of Indian Standard Act, 1986.

12. Penalty: - Any person who contravenes the provision of clause 3 of this order shall be liable for punishment under Section 33 of Bureau of Indian Standards Act,1986 and the property in respect of which the order has been contravened, shall be liable to forefeiture.

13. Appeal: - (1) Any person, manufacturer or dealer aggrieved by any decision taken under this order may prefer an appeal in writing to the Central Government, within 30 days from the date of receipt by him of the copy of the order communicating such decision.

Provided that the Central Government may admit any appeal after the expiry of the period aforesaid if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of the appeal under sub-clause (1) the Central Government may, after giving the appellant an opportunity of being heard, pass such order as it may deem fit.

[F.No. 11/40/2001-BIS]
S. NAUTIYAL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

3492/GI/2001 —2

62